न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 05/2024
3. उनवान : अजय पुत्र मुक्तिराम जाति हरिजन निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर हाल निवासी 98/5 यू.आई. टी कॉलोनी फरीदाबाग अजमेर–305001

–निगरानीकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत हिंगोनिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. आशा देवी हरिजन पत्नी सेडूराम हरिजन जाति हरिजन निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
3. विमला पत्नी स्व० मुक्तिराम जाति हरिजन निवासी 98/5 यू.आई.टी कॉलोनी फरीदाबाग अजमेर–305001
4. चांद पुत्र नाथू
5. मनोज पुत्र मदन
6. नानू पुत्र मदन

समस्त जाति हरिजन निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर हाल निवासी यू.आई. टी कॉलोनी फरीदाबाग अजमेर–305001

–विपक्षी/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 18/10/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी निगरानीकार की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 से विपक्षी संख्या 2 ने अपने हक में दिनांक 22/2/2021 को संकल्प संख्या 6 के द्वारा पट्टा संख्या 1 दिनांक 22/2/2021 पंचायती राज अधिनियम व पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानो के विपरीत जाकर सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये 299 वर्गगज नियम 157 (1) के तहत जारी करवा लिया। जबकि उपरोक्त आवासीय भूखण्ड का पट्टा निगरानीकार के पूर्वज पिता व गैर निगरानीकार संख्या 3 के पति व गैर निगरानीकार संख्या 4 व 5 के पिता (रूडा, नाथू, मदन पिता चन्द्रा) के नाम से उक्त आवासीय भूखण्ड जिस पर पुख्ता मकानात आदि बने हुये है, का पट्टा संख्या 01 दिनांक 19/12/1971 को कुल क्षेत्रफल 211.1/9 वर्गगज का जारी किया हुआ है तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा दिनांक 20/6/2022 में निगरानीकार के पट्टेशुदा भूखण्ड पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से निर्माण करने का प्रयास किया, जिस पर निगरानीकार ने ग्राम पंचायत को दिनांक 20/6/2022 को स्पष्ट रूप से पट्टा संख्या 01 दिनांक 19/12/1971 की प्रति संलग्न कर पट्टा निगरानीकार के पूर्वजों के नाम से जारी किया हुआ है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

अपील आधार में अंकित किया है कि पंचायती राज प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उक्त जारीशुदा पट्टे के संदर्भ में पालना नही कर पंचायती राज नियम 157(1) के अन्तर्गत मौके पर गैर निगरानीकार का निर्मित मकान मानते हुये उक्त पट्टा जारी कर दिया। जबकि मोके पर भूखण्ड जो निगरानीकार के पूर्वजों से कब्जेशुदा मकानात व पट्टेशुदा हैं। जबकि गैर निगरानीकार संख्या 2 का कभी भी किसी प्रकार का संबंध सरोकार व कब्जा मौके पर कभी नही रहा। निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियमों के तहत मौके का अवलोकन करना चाहिए था। नियम 146 से 149 की पालना नहीं की गई। हाल ही में 04/08/2023 को पुनः निगरानीकार की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने पर निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 04/8/2023 को प्राप्त हुई।

अन्त में निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 22/2/2021 संकल्प संख्या 6 पट्टा संख्या 1 दिनांक 22/2/2021 को निरस्त किया जाये।

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है कि जारी पट्टे की आड़ में गैरनिगरानीकार संख्या 2 द्वारा दिनांक 20/6/2022 को गैर निगरानीकार के पट्टेशुदा आवासीय भूखण्ड पर अपना पट्टा जो निगरानीधीन है बताकर निर्माण करने की कौशिश की। जिस पर आपसी समझाईश के द्वारा निगरानीकार व गैर निगरानीकार ने आपस में विवाद खत्म कर लिया था। परन्तु अभी हाल ही में 04/08/2023 को पुनः निगरानीकार की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। जिस पर निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 04/8/2023 को प्राप्त हुई। उक्त मामला गंभीर प्रकृति का है, जिसमें न्याय एवं कानून की मंशा के अनुसार मियाद का बिन्दू गौण है और ऐसे गंभीर मामले में मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता। अन्त में निगरानी प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर निगरानी को जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया गया है।

निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र एवं निगरानीधीन पट्टा संख्या 1 दिनांक 22/2/2021, पट्टा संख्या 1 दिनांक 19/12/1971, मृत्यु प्रमाण पत्र मुक्तिराम एवं अन्य दस्तावेजात की प्रति पेश की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित हुए। अन्य गैर निगरानीकारान बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से जवाब निगरानी पेश किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि पूर्व पट्टे की व कब्जे की जानकारी गैर निगरानीकार संख्या 2 ने छुपाते हुए मिथ्या तथ्यों व जवाबदाता को मुगालते में रखते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी करवा लिया जो भूलवश कानूनन विधि विरूद्ध पचायत राज के नियमों के विपरीत है। अन्त में जवाब स्वीकार किया जाकर उक्त पट्टा खारिज किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन किया गया है।

मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 157(1) के अन्तर्गत मौके पर गैर निगरानीकार का निर्मित मकान मानते हुये उक्त पट्टा जारी कर दिया जबकि मौके पर भूखण्ड जो निगरानीकार के पूर्वजों से कब्जेशुदा मकानात व पट्टेशुदा हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियमों के तहत मौके का अवलोकन करना चाहिए था। उसके पश्चात् अन्तिम विनिश्चय करना व नोटिस जारी व प्रकाशित करना आक्षेपों का निपटारा करना आदि प्रक्रिया के उपरान्त ही अर्थात

नियम 146 से 149 की पालना कर पट्टा जारी करना चाहिए था। परन्तु विपक्षी संख्या 1 ने मौके का अवलोकन नहीं किया। विवादित आराजीयात निगरानीकार के पूर्वजों से मकानात बनाकर उपयोग व उपभोग में लाई जा रही हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानो के विपरीत जाकर सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये 299 वर्गगज नियम 157 (1) के विरूद्ध पट्टा जारी किया है। निगरानीकार के पूर्वजों के नाम पट्टा संख्या 01 दिनांक 19/12/1971 को कुल क्षेत्रफल 211.1/9 वर्गगज जारीशुदा होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा का जारी किया हुआ है, उस पट्टे को दरकिनार कर निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया। अतः निगरानीधीन पट्टा संख्या संख्या 1 दिनांक 22/2/2021 को निरस्त किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन पट्टा पंचायतीराज नियमों की अवेहलना कर जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने पूर्व पट्टे की व कब्जे की जानकारी छुपाते हुए मिथ्या तथ्यों व मुगालते में रखते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी करवा लिया जो भूलवश कानूनन विधि विरूद्ध पचायत राज के नियमों के विपरीत है।

पत्रावली, संलग्नित दस्तावेजात, मूल रिकॉर्ड का अवलोन किया गया तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस उभयपक्ष पर मनन किया। निगरानीधीन पट्टा पंचायती राज नियमों के अनुसार जारी नहीं किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने भी उक्त तथ्य की स्वीकारोक्ति अपने जवाब निगरानी में की है। एक ही स्थान पर पूर्व में जारी पट्टे को निरस्त किये बिना दूसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। उक्त भूमि पर पूर्व में ही निगरानीकार के पक्ष में पट्टा जारी किया जा चुका था। मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर 299 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया। पूर्व पट्टे को छुपाकर उसी भूमि पर निगरानीधीन पट्टा जारी करवा लिया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा संकल्प संख्या 6 के तहत जारी निगरानीधीन पट्टा संख्या 1 दिनांक 22/02/2021 को खारिज किया जाता है। तदानुसार तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

18/10/24

(कुन्तल बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III · JAIPUR ·